

107 द० प्र० स०

सुनी

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

भारत सरकार
वनाम

M-55/2017

आदेश पत्रक

ग्राम प्रधान हाथीराम मुंड
की

22/6/17

अभिलेख संख्या :- एम. 55 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी सुरेंद्र के अप्राथमिकी संख्या :- 2/17

216

22/6/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- रुढ़िवाही पारंपारिक
तरीके से पथशंकि पथलगती करने से निवाह।

जिससे संभ्रमण है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 28/6/17 को उपस्थापित करें।

सुरेंद्र
22/6/17
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

2/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक

28/12/19 एवं 29/12/19 को सम्मानित समिति को
द्वारा 11/07 2015 को समिति समिति को सम्मानित

(R)
30.11.19